डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/618/2025 दिनांक : 24/12/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः—शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक यह अवगत कराना है कि समस्त सम्बद्ध बी०एड० महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया था कि शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदन से संबंधित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर एक माह की अवधि के भीतर अनुमोदनार्थ पत्रावली विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

परन्तु यह अत्यन्त खेदजनक है कि उक्त आश्वासन के उपरान्त भी अद्यतन तक अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना होने के साथ—साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 तथा NCTE विनियम, 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में पत्र संख्या सम्ब०/480/2025 दिनांक 31.10.2025 निर्गत किया जा चुका है, तथापि उसके अनुपालन में भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एन०सी०टी०ई० विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त बी०एड० पाठ्यक्रम का संचालन केवल उन्हीं संस्थानों में अनुमन्य है, जिनमें शिक्षक नियुक्ति एवं प्रबन्ध समिति का गठन विधिवत अनुमोदित हो। उक्त शर्तों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध मान्यता से संबंधित प्रतिकूल कार्यवाही की संस्तुति सक्षम प्राधिकारी/एन०सी०टी०ई० को की जा सकती है।

अतः आपको अन्तिम बार निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय से संबंधित शिक्षक अनुमोदन/नवीनीकरण एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदन की समस्त औपचारिकताएँ नियमानुसार पूर्ण करते हुए अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर संपूर्ण पत्रावली विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

निर्धारित अवधि में पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने की दशा में यह माना जाएगा कि संबंधित महाविद्यालय द्वारा जानबूझकर विश्वविद्यालय एवं एन०सी०टी०ई० के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय को नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही करने के साथ—साथ संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध एन०सी०टी०ई० को प्रतिकूल आख्या/संस्तुति प्रेषित करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी—कुलपति कार्यालय, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिकृत एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को समस्त बी0एड0 महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett